

[देखिये नियम 8 (2) और (3)]

कार्यालय : विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :रूपा./2007/

दिनांक 29.3.2007

संपरिवर्तन आदेश

प्रार्थी मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव एवं तरुणलता यादव पत्नि धर्मसिंह यादव, भारती यादव पत्नि सतीश यादव निवासी घासीपुरा के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8 (3)के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये उसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं ।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम ,पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता : मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव एवं तरुणलता यादव पत्नि धर्मसिंह यादव ,भारती यादव पत्नि सतीश यादव निवासी घासीपुरा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य हैं : नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:-
(क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम : ग्राम शिवपुरी/ग्राम पंचायत मनोहरपुर/
तहसील शाहपुरा
(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्गमीटर में : ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के ख.नं 7387/3
रकबा 0.2857 हैं
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपवर्तित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल वर्गमीटर में : ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के ख.नं. 7387/3
रकबा 0.2857 हैं सम्पूर्ण अर्थात 2857 वर्गमीटर
टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए,राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हैं ।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर :200वर्गमीटर तक 4 /- प्रति वर्ग मीटर तथा
201से 2000 वर्गमीटर तक 8 /-प्रति वर्गमीटर व
2001से 2857 वर्गमीटर तक 16 /- प्रति वर्गमीटर
- 6.चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :चा. न. 844 दिनांक 29.3.2007रूपये 21684 /-मद
0029 भू राजस्व चा.नं. 845 दिनांक 29.3.2007रूपये
14456 /-रूपये मद 8448 पं.स.कुल रूपये 36140 /-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो , की जमा कराई गई रकम : चालान नं. 844 दिनांक 29.3.2007 में रु. 7228 /-
की शास्ति शामिल हैं ।
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम : नहीं
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 12 के अधीन जारी किया गया है । : नहीं

10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों

: नियमानुसार रोड सीमा छोड़कर रूपान्तरण किया गया।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधीन होगा।

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन उक्त नियमों के नियम 8 (1)(ख) (1) के अलावा संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समाहृत हो जायेगा।
3. नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. संपरिवर्तित भूमि में व्यवसायिक परियोजना स्थापित करने / निर्माण करने से पूर्व ले आउट प्लान 60-40 प्रतिशत के अनुपात में अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदित कराया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मुहर

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक / रूपा. / 2007 /

418-421

दिनांक 29.3.2007

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजस्व / जिराले जयपुर।
2. तहसीलदार शाहपुरा (जयपुर) को आवश्यक कार्यवाही तथा संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु सं. 11 की शर्तों का पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. ग्राम पंचायत मनोहरपुर (शाहपुरा) आवश्यक कार्यवाही तथा संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु सं. 11 की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
4. आवेदक मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव एवं तरुणलता यादव पत्नि धर्मसिंह यादव भारती यादव पत्नि सतीशचन्द्र यादव निवासी घासीपुरा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रारूप " ब "

देखिये नियम 9 (3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक/रूपा0/2021/ 1413

दिनांक 6/9/21

संपरिवर्तन आदेश

मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव पत्नि सतीश यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन)नियम, 2007 के नियम 9 (1) (ई) (प)के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं ।

1.आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव पत्नि सतीश यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम शिवपुरी/ग्राम पंचायत टोडी/ तहसील शाहपुरा
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7387/4 रकबा 0.0215 है0
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में)	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7387/4 रकबा 0.0215 है0 अर्थात 215 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	विक्रय पत्र की मालियत दर 599200/-प्रति है0 का 10 प्रतिशत
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम ।	जी.आर.एन नं. 53138661 दिनांक 03.09.2021 राशि 30000/- एवं जी.आर.एन. नं. 53138723 दिनांक 03.09.2021 कुल राशि 54590/- राजकोष में जमा।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं



उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकृष्ट आदेश नियमितकरण के लिए नियम

13 के अधीन जारी किया गया है।

10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।

नहीं

नियमानुसार रोड सीमा छोड़कर संपन्न
गया।



11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

(6) अन्य विभागों से वांछित स्वीकृति प्राप्ति प्राप्त करेंगे।

(7) आवेदक द्वारा राजस्व विभाग (ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र

क्रमांक/No.F.6(26)Rev.6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियमों के अन्तर्गत

500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्माण करने से पूर्व विहित प्राधिकारी से

बिल्डिंग प्लान अनुमोदन Form G के तहत करवाना अनिवार्य है साथ ही 300 वर्गमीटर

या उससे अधिक निर्माण पर संवदी जल प्रबंधन प्रणाली बनाना भी अनिवार्य है।

(8) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 की सभी शर्तें मान्य होगी।

(मनमोहन)

उप सहायक अधिकारी
शाहपुर (जयपुर) जिला जयपुर

क्रमांक/रुपा10/2021/1414-17

दिनांक 6/9/21

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।

2. तहसीलदार तहसील शाहपुर।

3. सप्रबंध, ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुर।

4. मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये सचिव भारती यादव धरिण
सतीश यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुर जिला जयपुर।

प्राप्त दिनांक 25 माह 4 सन 2021

पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 49 के पृष्ठ सं. 122

(मनमोहन)

क्रम संख्या 917 पर पंजीबद्ध किया गया

प्रतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 128

उप सहायक अधिकारी
शाहपुर (जयपुर) जिला जयपुर
शाहपुर (जयपुर) राजस्थान

पुस्तक संख्या 245 स 254 के पृष्ठ सं. 122

उप सहायक
पं. मु. विभाग
मनमोहन (जयपुर)

मतीश

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/07/2021 10:52:38 AM

जिला : जयपुर


तहसील : शाहपुरा

भू. अ. नि. क्षेत्र : मनोहरपुर

हल्का : मनोहरपुर

ग्राम : शिवपुरी

जयपुर जिला



Scale 1:500

खसरा संख्या : 7387/4 क्षेत्रफल : 0.0215 Hectare खाता संख्या : 314 पुराना खाता संख्या : 304

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 1 [0.0215, 0.15]

1.) मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा, जयपुर सचिव भारती यादव पत्नी संतीशयादव जाति अहीर सा. घासीपुरा हिस्सा- पूर्ण खातेदार



उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Handwritten signature and official stamp of the Sub-Divisional Officer, Shahpura (Jaipur).

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

प्रारूप " ब "

देखिये नियम 9 (3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक /रूपा0/2021/ 1621

दिनांक 1/10/21

संपरिवर्तन आदेश

मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान, घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर जरिये सचिव श्रीमती भारती यादव पत्नि सतीश चन्द्र यादव जाति अहीर निवासी वार्ड नं. 1, मेहता की कोठी घासीपुरा एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव पत्नि योगेश कुमार यादव जाति अहीर निवासी बावडी की ढाणी, खेमावाला घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का रीजिस्ट्रेशन में परिवर्तन (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2008 के नियम 9 (1) (ई) (प)के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान, घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर जरिये सचिव श्रीमती भारती यादव पत्नि सतीश चन्द्र यादव जाति अहीर निवासी वार्ड नं. 1, मेहता की कोठी घासीपुरा एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव पत्नि योगेश कुमार यादव जाति अहीर निवासी बावडी की ढाणी, खेमावाला घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम शिवपुरी/ग्राम पंचायत टोडी/तहसील शाहपुरा
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के आराजी ख.नं. 7388/1 रकबा 0.1400 है।
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के आराजी ख.नं. 7388/1 रकबा 0.1400 है। में से 0.0300 है। भूमि पेट्रो उत्पात लाईन हेतु छोड़ने के परचात शेष संपरिवर्तन योग्य भूमि 0.1100 है। भूमि अर्थात 1100 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	विक्रय पत्र की मालियत दर 1000000/- प्रति हैक्ट. का 10 प्रतिशत
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	जीआरएन नं. 53927423 दिनांक 28.09.2021 रुपये 78600/- राजकोष में जमा।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो ।	नियमानुसार रोड़ सीमा छोड़कर रूपान्तरण किया गया ।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा ।
- (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
- (5) इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा ।
- (6) अन्य विभागों से वांछित स्वीकृति प्रार्थीगण प्राप्त करेंगे ।
- (7) आवेदक द्वारा राजस्व विभाग (ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/No.F.6(26)Rev.6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियमों के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्माण करने से पूर्व विहित प्राधिकारी से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन Form G के तहत करवाना अनिवार्य है साथ ही 300 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्माण पर संचयी जल प्रबंधन प्रणाली बनाना भी अनिवार्य है ।
- (8) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 की सभी शर्तें मान्य होगी ।



(मनमोहन)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दिनांक:- 11/10/21

क्रमांक/रूपा10/2021/ 1622-25

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर ।
2. उपतहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा ।
4. मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान, घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
जरिये सचिव श्रीमती भारती यादव पत्नि सतीश चन्द्र यादव जाति अहीर निवासी वार्ड नं. 1,
मेहता की कोठी घासीपुरा एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव पत्नि योगेश कुमार यादव
जाति अहीर निवासी बावडी की ढाणी, खेमावाला घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

भ्रज दिनांक 25 भाद्र 11 सन 2021 क

पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 49 के पृष्ठ सं. 124

कम संख्या 919 पर पंजीबद्ध किया गया

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 128

पुस्तक संख्या 265 ति 274 पर कलम किया गया

(मनमोहन)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

34 पंजीबद्ध
पं. म. विभाग
मनोहरपुर (जयपुर)

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 23/09/2021 07:11:58 PM

जिला : जयपुर

तहसील : शाहपुरा

भू. अ. नि. क्षेत्र : मनोहरपुर

ग्राम : शिवपुरी



Scale 1:1000

खसरा संख्या : 7388/1 क्षेत्रफल : 0.1400 Hectare खाता संख्या : 565 पुराना खाता संख्या : 496

[मि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 1 [0.1400, 0.97]

.) मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान हिस्सा- पूर्ण घासीपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर पंजीयन क्रमांक 445 जयपुर/2004-2005
नांक 25.09.2004 खातेदारउपस्थिति अधिकारी
शाहपुरा जयपुर राजस्थानसक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
24/09/2021
उपस्थिति अधिकारी
जयपुर जयपुर (जयपुर)

- टि :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

संपरिवर्तन आदेश

मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये अध्यक्ष बट्टीप्रसाद यादव पुत्र साधूराम यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान नू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन)नियम, 2007 के नियम 9 (1) (ई) (प)के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं ।

1.आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये अध्यक्ष बट्टीप्रसाद यादव पुत्र साधूराम यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम शिवपुरी/ग्राम पंचायत टोडी/ तहसील शाहपुरा
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7387/11 रकबा 0.0236 है०
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में)	ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 7387/11 रकबा 0.0236 है० अर्थात 236 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	विक्रय पत्र की मालियत दर 354850/-प्रति है० का 10 प्रतिशत
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम ।	जी.आर.एन नं. 53138456 दिनांक 03.09.2021 राशि 35490/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम ।	नहीं

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	नियमानुसार रोड़ सीमा छोड़कर रूपान्तरण किया गया।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-
 - (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
 - (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (5) इंडियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
 - (6) अन्य विभागों से वांछित स्वीकृति प्रार्थीगण प्राप्त करेंगे।
 - (7) आवेदक द्वारा राजस्व विभाग (युप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/No.F.6(26)Rev.6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियमों के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्माण करने से पूर्व विहित प्राधिकारी से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन Form G के तहत करवाना अनिवार्य है साथ ही 300 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्माण पर संचयी जल प्रबंधन प्रणाली बनाना भी अनिवार्य है।
 - (8) राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 की सभी शर्तें मान्य होगी।

—sq—
(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
दिनांक 6/9/21

क्रमांक/रूपा0/2021/1421-24
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील शाहपुरा।
3. सप्रबंध, ग्राम पंचायत टोडी पंचायत समिति शाहपुरा।
4. मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये अध्यक्ष बद्रीप्रसाद यादव पुत्र साधूराम यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

भाज दिनांक 25 माह 11 सन 2021
पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 49 के पृष्ठ सं. 23
कम सख्या 918 पर पजीबद्ध किया गया
अतिरिक्त पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 28
पुस्तक सख्या 255 0264 पर चर्या किया गया

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप पंजीयक
पं. मु. विभाग
मनोहरपुर (जयपुर)



राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)


दिनांक : 22/07/2021 10:45:08 AM

तहसील : शाहपुरा

भू. ज. नि. क्षेत्र : मनोहरपुर

जिला : जयपुर

ग्राम : शिवपुरी



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text: पञ्चायत मन्त्री, 16/8/2021

Scale 1:500

तहसीलदार

तहसील - शाहपुरा (जयपुर)

खसरा संख्या : 7387/11 क्षेत्रफल : 0.0236 Hectare खाता संख्या : 316 पुराना खाता संख्या : 260

मि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 1 [0.0236, 0.16]

1.) मानव संसाधन एवं जन कल्याण विकास संस्थान घासीपुरा जरिये अध्यक्ष बन्दीप्रसाद यादव पुत्र साधूराम यादव जाति अहीर सा.घासीपुरा हिस्सा- पूर्ण खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
- 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- 3. प्रविष्टियों में संशोधन/संशोधित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null